न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 40 / 21 निर्णय दिनांकः 11.05.2023
(जीसीएमएस संख्या 2021 / 162)

1. भीवसिंह पुत्र नत्थूसिंह
2. मानकंवर पत्नी स्व. गुलाबसिंह
3. समन्त कंवर
4. संजूकंवर
5. भोमसिंह

पुत्रियॉ / पुत्र स्व. गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासीगण सियाणा हाल आबाद खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर

6. नेनूकंवर पत्नी स्व. केशुसिंह
7. कुशाल सिंह
8. मदनसिंह
9. नेनूसिंह पुत्रगण स्व. केशुसिंह
10. विजयसिंह
11. पप्पूसिंह
12. रामसिंह पुत्र जेठा
13. राजाकंवर पत्नी स्व. खीवसिंह
14. पेम्पसिंह
15. भोमसिंह
16. भादरसिंह
17. नरपतसिंह
18. पप्पूसिंह
19. गुमानसिंह
20. दुर्गाकंवर
21. रेवतां कंवर
22. लक्ष्मीकंवर

पुत्रगण / पुत्रियॉ खीवसिंह जाति राजपूत निवासीगण सियाणा हाल आबाद धरनोक तहसील नोखा जिला बीकानेर।

23. नेनूकंवर पत्नी स्व. पदमसिंह
24. नखतसिंह
25. रेवन्त सिंह
26. रूखमा
27. धनकंवर

पुत्रगण / पुत्रियॉ स्व. पदमसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

28. दीवान सिंह पुत्र भारत सिंह जाति राजपूत निवासी सियाणा जोधासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. लूणसिंह पुत्र श्री गमपत सिंह उर्फ गणपतसिंह
2. गज्जेसिंह पुत्र स्व. सोहनसिंह
3. भंवरकंवर पत्नी स्व. सोहनसिंह
4. शैतान सिंह
5. रिछपाल सिंह पुत्रगण स्व. सोहनसिंह
6. रेवन्त सिंह
7. किशन सिंह पुत्र स्व. गणपतसिंह
8. जसुकंवर
9. ममताकंवर पुत्र/पुत्रियॉ स्व. रणजीत सिंह जाति राजपूत
10. कुलदीप सिंह निवासी ग्राम सियाणा जोधासर तहसील कोलायत
11. भवानी सिंह जिला बीकानेर।
12. बलजीत
13. संजय कुमार पुत्रगण देशराज
14. जेठूराम पुत्र चूडूराम
    जाति सोनी निवासीगण सीवन तहसील सीवन जिला केथल हरियाणा।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

16. तुलछी पत्नी स्व. मेघसिंह
17. रूपसिंह
18. रेवन्त सिंह पुत्रगण/पुत्रियॉ स्व. मेघसिंह
19. फूससिंह
20. मुन्नाकंवर

–प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13–07–2021
उपखण्ड अधिकारी, क़ोलायत

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरीश चन्द्र व्यास , अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 6, 8 ता 11
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 13–07–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि वाके ग्राम जोधासर के खेत खसरा नम्बर 36 तादादी 9.8600 हेक्टर, खसरा नम्बर 37 तादादी 19.1300 हेक्टर, खसरा नम्बर 39 तादादी 15.3500 हेक्टर व खसरा नम्बर 13 तादादी 3. 43 हेक्टर भूमि निहित है। उक्त भूमि पर आज दिनांक तक किसी प्रकार का आवागमन का कोई रास्ता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग व उपभोग में नहीं लिया जा रहा है ना ही कोई आम रास्ता कायम ही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उनकी जोत खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 12.79 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 38 तादादी 16.31 हेक्टर भूमि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थी/अपीलांट्स की जोत में से चला आ रहा है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलांट्स की जोत में से रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251ए आरटीए के प्रावधानों के विपरीत जाकर अन्य पक्षकारों की तलबी कार्यवाही पूर्ण किये बिना आदेश जैर अपील से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर रास्त कायम करने हेतु मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09–12–2019 को आदेश प्रसारित किया गया था कि सभी पक्षों की मौजुदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की अवहेलना करते हुए अपीलांट् को मौका रिपोर्ट तैयार करते समय किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से उच्चतर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/अप्रार्थी का जवाब बन्द किये जाने की स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा 3000/— की कॉस्ट लगा कर जवाब पेश करने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/अप्रार्थी से जवाब प्राप्त किये बिना ही अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। प्रक्रण में चूंकि रेस्पोडेन्ट्स को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, लिहाजा प्रस्तुत प्रकरण में आदेश जैर अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 251 जिसमें किसी काश्तकार को आत्यांतिक आवश्यकता के आधार पर ही रास्ता दिये जाने के प्रावधान निहित है, की मंशा के विपरीत होने से आदेश जैर अपील खारिज योग्य है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट् को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध होने की दशा में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि रेस्पोडेन्ट्ा के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट् को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 .व अप्रार्थी संख्या 37 ता 45 की खातेदारी भूमि ग्राम जोधासर के खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 12.79 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 38 में तादादी 16.31 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 29.10 हेक्टर भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की मांग अपीलांट्स/अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 36, खसरा नम्बर 37, खसरा नम्बर 39 व खसरा नम्बर 13 में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई व तहसीलदार द्वारा यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 3 को अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ते अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अपीलांट्स की जोत में से आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने की अनुशंसा किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत तरीके से अपीलांट्स की जोत में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा के समक्ष अपीलांट्स द्वारा तमाम कार्यवाही मात्र प्रकरण में अनावश्यक रूप से देरी करने के उद्वेश्य मात्र से किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का जवाब बन्द किया गया था। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पर प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट धारा 69 आरटीए के प्रावधानों के तहत तैयार की गई, तथा रिपोर्ट में भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित पाया गया तथा साथ ही यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को रास्ते का आत्यांतिक आवश्यकता व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होने की दशा में धारा 251 ए के तहत नया रास्ता मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा धारा 251ए आरटीए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। स्वीकार योग्य कथन नहीं होने से व आदेश जैर अपील विधिक प्रावधानों की पालना किये जाने के फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/अप्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके रोही जोधसर के खेत खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर 36, खसरा नम्बर 37, खसरा नम्बर 39 व खसरा नम्बर 13 में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व धारा 251 ए के प्रावधान की पालना नहीं की गई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों व मौके व रिकार्ड की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा उठाई गई आपत्ति की अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 09–12–2019 की पालना में सभी पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 18–07–2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया था। धारा 251ए आरटीए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधिक प्रावधानों के तहत 90 दिवस के भीतर–भीतर निस्तारण किया जाना अपरिहार्य होने के बावजूद भी उक्त प्रकरण का निस्तारण 90 दिवस के बजाय प्रस्तुतीकरण के उपरान्त तीन वर्ष बाद निस्तारित किया गया है व अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत उच्चतर न्यायालयों के समक्ष उपस्थित आते रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार तमाम कार्यवाही से अनभिज्ञ हो, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से इस स्थिति का फायदा नहीं उठा सकते की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई है।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट् न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मौके की स्थिति के अनुसार आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शा व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशों की पालना में आराजी जैर की **मौका रिपोर्ट दिनांक 22–03–2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक व संबंधित पटवारी द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है, तथा उपस्थिति स्वरूप सभी के हस्ताक्षर अंकित है।** जिससे साबित होता है कि नियम 69 की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए के तहत प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने पर धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुँचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की वास्तविक स्थिति की बिन्दुवार रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स को उसकी जोत में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उपयोगी नियमानुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत द्वारा यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट्स को उसकी जोत खेत खसरा नम्बर 11 व 38 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, अपीलांट्स की खातेदारी भूमि तहसील कोलायत के ग्राम जोधासर के खेत खसरा नम्बर 36, 85/37 में से कुल तादादी 0.372 हेक्टर भूमि पर रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो धारा 251ए के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का आदेश दिनांक 13–07–2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 11/5/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/5/2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर